रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939
No. 29] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

सं. भा.आ.प.-34(41)/2017-मेड./169873.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:

1. (i) ये विनियम "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) 2017" कहे जाएंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अध्याय II में **"दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण"** शीर्षक के अंतर्गत, एक नए उप-शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

प्रस्तावना

1. भारत की संसद ने, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया है। राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, यह संशोधन अधिनियम 5 अगस्त, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में धारा 10घ और धारा 33 (डख) जोड़ दी गई हैं। उक्त उपबंध में ''नामित प्राधिकरण'' द्वारा स्नातक-पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा का उपबंध किया गया है। इस संशोधन के कारण संसद ने, 27 दिसंबर, 2010, 27 फरवरी, 2012 और 23 अक्तूबर, 2013 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित संशोधनों द्वारा ''स्नातक चिकित्सा शिक्षा नियमावली, 1997'' में शामिल राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (जिसे इसमें आगे ''नीट'' कहा गया है) में विधायी पुनीतता का उपबंध किया गया है।

2. पहले, नीट से संबंधित उपबंध, *क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर और अन्य बनाम भारत की संघ सरकार और अन्य* [2012 की टीसी (सी) संख्या 98 और अन्य 114 संबद्ध याचिकाएं] के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए थे। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारत की

संघ सरकार द्वारा दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका पर, *'भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर और अन्य'* शीर्षक वाली 2013 की पुनर्विचार याचिका (सिविल) संख्या 2059-2268 में दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने नीट को पुन: प्रवर्तित कर दिया है। इसके अलावा, *'संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत की संघ सरकार और अन्य'* के शीर्षक वाली 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 261 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के आदेश के अनुसरण में, शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार, शैक्षिक वर्ष 2017-18 के लिए एमबीबीएस में दाखिलों के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा, स्नातक-पूर्व स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एकसमान प्रवेश परीक्षा है और स्नातक-पूर्व स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एकसमान प्रवेश परीक्षा बनी रहेगी।

3. 'चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला – पात्रता मापदंड' के अंतर्गत खंड 4 और उप-खंड 4(1) एवं (1क) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4. **चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला –पात्रता मापदंड :** किसी भी अभ्यर्थी को, प्रथम एमबीबीएस पाठ्यक्रम के समीचीन चिकित्सा कॅरिकुलम में दाखिल किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक उसने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त न कर ली हो और वह उसे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक:

(1) उसने, एमबीबीएस में दाखिले के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो,

(1क) उसने, अध्याय II के खंड 5 में यथाविनिर्धारित, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न कर लिए हों।"

4. **"दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण"** शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खंड 4 में "चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला – पात्रता मापदंड" में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

(1ख) बशर्ते कि पात्र बनने की दृष्टि से, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले और एमबीबीएस कार्यक्रम में दाखिला प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग **श्रेणी और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आरक्षण के हकदार व्यक्तियों के लिए** 5 वर्ष की छूट के साथ, दाखिले की तारीख को यथास्थिति, 25 वर्ष होगी।"

5. 'चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला –पात्रता मापदंड' शीर्षक के अंतर्गत खंड 4 में और उप-खंड 4(2)(क) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

''बशर्ते कि सभी अभ्यर्थियों के लिए 10+2 स्तर पर कुल मिला कर भौतिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, जीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी का दो वर्ष का नियमित और निरंतर अध्ययन आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों ने ओपन स्कूलों से या प्राइवेट अभ्यर्थियों के रूप में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, 10+2 स्तर पर एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव-विज्ञान/जीव-प्रौद्योगिकी के अध्ययन की भी अनुमति नहीं होगी।''

6. **"दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण"** शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खंड 4 (3) में "चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला – पात्रता मापदंड" को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"4(3). विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, अर्हक परीक्षा में एक साथ जोड़कर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवविज्ञान (या वनस्पति विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव-प्रौद्योगिकी में अर्हक परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत के बजाय 45 प्रतिशत होंगे तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. हेतु 40% प्रतिशत होंगे।

वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। इस उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट-ज में संलग्न है। यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाना चाहिए।

पुन: बशर्ते कि यह पूरा कार्य, दाखिलों के लिए सांविधिक समय के कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा पूरा किया जाएगा और किसी भी मामले में 31 अगस्त के पश्चात एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं किया जाएगा।"

7. अध्याय II में ''एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी'' शीर्ष के अंतर्गत खंड 5 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

(1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में स्नातक-पूर्व स्तर पर सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों के लिए एकसमान प्रवेश परीक्षा नामत: 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' होगी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन आयोजित की जाएगी।

(2) 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने के लिए ''नामित प्राधिकरण'' केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस प्रकार नामित कोई अन्य निकाय/संगठन होगा।

(3) 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' आयोजित करने की भाषा और तरीका, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से ''नामित प्राधिकरण'' द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) किसी शैक्षिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र बनने की दृष्टि से, किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में 50वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में 40वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक होंगे। ऊपर खंड 4(3) के अनुसार, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक 45वें पर्सेंटाइल पर तथा अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अभ्यर्थियों हेतु 40वें पर्सेंटाइल पर होंगे। यह पर्सेंटाइल, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में दाखिले के लिए अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त किए गए उच्चतम अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए किसी शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित की गई 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में यथानिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से केंद्र सरकार, अपने विवेकाधिकार पर, संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(5) संबंधित श्रेणी के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित लागू होने वाले कानूनों के अनुसार होगा। पात्र अभ्यर्थियों को अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और अभ्यर्थी केवल उक्त सूचियों से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाएंगे।

(6) जो अभ्यर्थी, ऊपर उप-खंड (4) में यथाविनिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल हो गया है, ऐसे किसी अभ्यर्थी को उक्त शैक्षिक वर्ष में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा।

(7) कोई भी प्राधिकरण/संस्थान, इस विनियमावली में यथाविनिर्धारित मापदंड/प्रक्रिया को प्रतिकूल और/या दाखिलों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके एमबीबीएस पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी को दाखिल नहीं करेगा। उपर्युक्त के प्रतिकूल/का उल्लंघन करके दाखिल किए गए किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो प्राधिकरण/संस्थान, विनियमावली और/या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के प्रतिकूल/का उल्लंघन करके किसी छात्र को दाखिला प्रदान करता है, वह भी किसी ऐसी कार्रवाई का सामना करने का उत्तरदायी होगा, जो परिषद् द्वारा विनिर्धारित की जाए, जिसमें आगामी शैक्षिक वर्ष/वर्षों के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से, किए गए ऐसे दाखिलों की सीमा के समतुल्य सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।

(8) संबंधित श्रेणियों के अंदर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सभी दाखिले, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में प्राप्त किए गए अंकों पर अनन्य रूप से आधारित होंगे।''

डॉ. रीना नय्यर, सचिव प्रभारी

[विज्ञापन III/4/असा./405/17]

फुट नोट : प्रधान विनियमावली, नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997", भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 04 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4, में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017 और 04.07.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत पुन: संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट-छ

(विनियम 4 और 5 देखें)

धारा 2 के "विनिर्दिष्ट विकलांगता" खंड (यज्ञ) के संबंध में, एक अनुसूची संलग्न है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

1. शारीरिक विकलांगता

क. गति वषियक विकलांगता (मस्कुलोस्केलेटल या स्नायु तंत्र या दोनों की वेदना के परिणामस्वरूप स्वयं के चलने-फिरने और वस्तुओं को लाने-ले जाने से संबद्ध भिन्न-भिन्न क्रियाकलाप करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) 'कुष्ठरोग मुक्त व्यक्ति' का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति, जिसको कुष्ठरोग मुक्त कर दिया गया है, परंतु वह निम्नलिखित से पीड़ित है:

(i) हाथों या पैरों में संवेदन की क्षति या संवेदन की क्षति और आंख तथा आंख के पलक में आंशिक घात, परंतु विरूपता की कोई अभिव्यक्ति नहीं;

(ii) अभिव्यक्त विरूपता और आंशिक घात, परंतु सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप में लगने के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिकता;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विरूपता और अधिक आयु, जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से रोकती है और "कुष्ठरोग मुक्त" अभिव्यक्ति को तद्नुसार माना जाएगा।

(ख) "प्रमस्तिष्काघात" का अर्थ है – आमतौर पर जन्म से पहले, के दौरान या जन्म के शीघ्र पश्चात होने वाले, मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में क्षति द्वारा पहुंचा, शरीर को हिलाने-डुलाने और मांसपेशी समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगामी तंत्रिकाविज्ञान संबंधी दशा का एक समूह;

(ग) "बौनापन" का अर्थ है – एक चिकित्सीय या वंशागत दशा, जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति का कद 4 फुट 10 इंच (147 सें.मी.) या इससे कम हो;

(घ) "मस्कुलर डिसट्राफी" का अर्थ है – आनुवंशिक जेनेटिक मांसपेशीय रोगों का एक समूह, जो उन मासंपेशियों को कमजोर बना देता है जो मानव शरीर को चलायमान रखती हैं और बहुल डिसट्राफी वाले व्यक्तियों में उनके ज़ीन्स में गलत और गायब सूचना होती है जो उन्हें वह प्रोटीन बनाने से रोकती है, जो स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। इसके कारण प्रगामी स्केल्टल मांसपेशी की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में दोष और मांसपेशीय कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु हो जाती है;

(ङ) "ऐसिड प्रहार से पीड़ित व्यक्ति" का अर्थ है – ऐसिड या इसी प्रकार के क्षयकारी पदार्थ फेंकने द्वारा हिंसात्मक प्रहारों के कारण विरूपित कोई व्यक्ति।

ख. दृष्टि बाधिता-

(क) "नेत्रहीनता" का अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की स्थिति सर्वोत्तम सुधार के पश्चात निम्नलिखित स्थितियों में से कोई हो:

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

(ii) सर्वोत्तम संभावित सुधार के साथ बेहतर आंख में 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम चाक्षुक तीक्ष्णता; या

(iii) 10 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

(ख) "निम्न दृष्टि" का अर्थ है – एक ऐसी स्थिति, जहां किसी व्यक्ति की निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति हो, नामत:

(i) सभी संभावित सुधारों के साथ बेहतर आंख में 6/18 से अधिक चाक्षुक तीक्ष्णता न हो या 20/60, 3/60 से कम चाक्षुक तीक्ष्णता हो या 10/200 तक (स्नेलन) हो।

(ii) 10 डिग्री तक 40 डिग्री से कम का एंगल अंतरित करने वाली दृष्टि की फील्ड की सीमा।

ग श्रवण क्षति-

(क) "बधिर" का अर्थ है – दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 70 डीबी श्रवण क्षति वाले व्यक्ति;

(ख) "कम सनुनने वाला" का अर्थ है – दोनों कानों में वाणी बारंबारताओं में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण क्षति वाला व्यक्ति;

घ. "वाणी एवं भाषा विकलांगता" का अर्थ है – स्वरयंत्रउच्छेदन या वाचाघात जैसी स्थितियों से उत्पन्न एक स्थायी विकलांगता, जो आंगिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाणी और भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती हो।

2. बौद्धिक विकलांगता, एक ऐसी स्थिति, जो बौद्धिक कार्यचालन (तर्कसंगतता, ज्ञानार्जन, समस्या का समाधान करने) और ग्रहणशील व्यवहार दोनों में पर्याप्त सीमा वाली हो, जो दिन-प्रति दिन के सामाजिक और व्यावहारिक कौशलों की एक रेंज कवर करती हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) "विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगता" का अर्थ है – स्थितियों का एक विजातीय समूह, जिसमें भाषा, बोली जाने वाली या लिखित का प्रोसेसिग करने में कमी है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, हिज्जे करने या अंकगणितीय परिकलन करने में कठिनाई के रूप में अपने आपको अभिव्यक्त कर सकती है और इसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसप्रॉक्सिया और विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

(ख) "आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकृति" का अर्थ है – एक तंत्रिका विकासात्मक स्थिति, जो विशेष रूप से जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो संप्रेषित करने, संबंधों को समझने की किसी व्यक्ति की योग्यता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अन्य से भी संबंधित है तथा यह असामान्य या एक ही प्रकार की विधियों या व्यवहारों के साथ निरंतर जुड़ी हुई है।

3. मानसिक व्यवहार,—"मानसिक रोग" का अर्थ है - विचार करने, मनोवृत्ति, अवधारणा, अभिमुखीकरण या स्मरण शक्ति की एक पर्याप्त विकृति जो जीवन की सामान्य मांगें पूरी करने की योग्यता या वास्तविकता समझने के लिए निर्णय, व्यवहार, क्षमता को काफी क्षति पहुंचाती है, परंतु इसमें ऐसी मंदबुद्धिता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अपूर्ण विकास या समाप्त करने की एक स्थिति है, जो विशेष रूप से बुद्धि की उप-सामान्यता द्वारा प्रदर्शित होती है।

4. निम्नलिखित के कारण विकलांगता-

(क) चिरकालिक तंत्रिका-विज्ञान संबंधी स्थितियां, जैसे-

(i) "बहुल ऊतक काठिन्य" का अर्थ है – सूजन, स्नायु तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क की स्नायु कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के आसपास कवक-जाल आच्छादित हो जाता है और रीड की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विसैन्यीकरण हो जाता है और एक-दूसरे के साथ संप्रेषण करने के लिए मस्तिष्क और रीड की हड्डी में स्नायु कोशिकाओं की योग्यता प्रभावित होता है।

(ii) "पार्किन्सन रोग" का अर्थ है – कंपन्न, मांसपेशीय कठोरता और धीमा, इम्प्रेसाइज मूवमेंट द्वारा मार्क की गई स्नायु तंत्र का एक प्रगामी रोग, जो मस्तिष्क की बेसल गंगलिया को कमजोर करने और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन की कमी से जुड़े अधेड़ आयु के व्यक्तियों और वृद्धजनों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है।

(ख) रक्त विकृति –

(i) "अधिरक्तस्राव" का अर्थ है – एक आनुवंशिक रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, परंतु उनके पुरुष बच्चों में महिलाओं द्वारा संक्रमित होता है, जिसके कारण रक्त की जमने की सामान्य क्षमता नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप अवयस्क व्यक्तियों में घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "थैलासीमिया" का अर्थ है – आनुवंशिक विकृतियों का एक समूह, जिसके कारण हिमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या उसका अभाव हो जाता है;

(iii) "सिक्कल सेल रोग" का अर्थ है – एक हिमोलिटिक विकृति, जिसके कारण चिरकालिक रक्ताल्पता, दर्द वाली स्थितियां हो जाती हैं और संबद्ध ऊतक तथा अंगों की क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं; "हिमोलाइटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के नष्ट होने से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप हिमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है।

5. बधिरता, अंधापन सहित बहुल-विकलांगताएं (उपर्युक्त विशिष्टीकृत विकलांगताओं में से एक से अधिक), जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण और चाक्षुक क्षतियों का संयोजन हो सकता है जिसके कारण गंभीर संप्रेषण, विकासात्मक और शैक्षिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

टिप्पणी : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में होने वाले किसी संशोधन के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अनुसूची में संशोधन हो जाएगा।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

No.MCI-34(41)/2017-Med./169873.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely:—

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education(Amendment), 2017.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Chapter II under the heading "ADMISSION, SELECTION, MIGRATION & TRAINING" the following shall be added under a new sub-heading:

PREAMBLE

1. The Parliament of India has amended the Indian Medical Council Act, 1956 by the Indian Medical Council (Amendment) Act 2016. This Amendment Act after receiving the assent of the President has been notified in the Gazette of India on 5th August, 2016. The Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 has inserted section 10 D and section 33 (mb) to the Indian Medical Council Act, 1956. The said provision provides for a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the under graduate level and post graduate level by the "designated authority". By virtue of this Amendment the Parliament has provided legislative sanctity to the National Eligibility-Cum-Entrance Test [hereinafter "NEET"] included in the Graduate Medical Education Regulations, 1997 by Amendments notified in the Official Gazette on 27th December, 2010, 27th February, 2012 and 23rd October, 2013.

2. Earlier, the provisions relating to NEET were quashed by the Hon'ble Supreme Court vide its judgment dated 18th July, 2013 in *Christian Medical College Vellore & Ors.vs. Union of India & Ors.* [TC (C) No. 98 of 2012 and other 114 connected Petitions]. However, on a Review Petition preferred by the Medical Council of India and the Union of India, the Hon'ble Supreme Court vide its order dated 11th April, 2016 in Review Petition (C) Nos. 2059-2268 of 2013 captioned as *Medical Council of India vs. Christian Medical College Vellore & Ors*. has revived NEET Regulations. Furthermore, in pursuance of the Order dated 28th April, 2016 of the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) Nos. 261 of 2016, captioned as *Sankalp Charitable Trust & Anr. vs. Union of India & Ors*, the National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to the MBBS course were conducted for the academic year 2016-17. For admission to MBBS for academic year 2017-18, in terms of the Indian Medical Council

(Amendment) Act, 2016 the National Eligibility-cum-Entrance Test is the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the undergraduate level and shall continue to be the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the undergraduate level.

3. In Clause 4, under the heading Admission to the Medical Course- eligibility criteria, and in sub-clause 4 (1) & (1A), the following shall be substituted:

4. **Admission to the Medical Course-Eligibility Criteria**: No candidate shall be allowed to be admitted to the Medical Curriculum proper of first Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery course until he /she has qualified the National Eligibility Entrance Test, and he/she shall not be allowed to appear for the National Eligibility-Cum-Entrance Test until:

(1) He/she shall complete the age of 17 years on or before 31st December of the year of admission to the MBBS.

(1A) He/She has obtained a minimum of marks in National Eligibility-Cum-Entrance Test as prescribed in Clause 5 of Chapter II.

4. In Chapter II under the heading "ADMISSION, SELECTION, MIGRATION & TRAINING" in the Clause 4, in 'Admission to Medical Courses – Eligibility Criteria' the following shall be added as under,

IB. Provided further that in order to be eligible, the upper age limit for candidates appearing for National Eligibility Entrance Test and seeking admission to MBBS programme shall be 25 years as on the date of examination with a relaxation of 5 years for candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

5. In Clause 4, under the heading Admission to the Medical Course- eligibility criteria and in sub-clause 4 (2) (a), the following proviso shall be added:

Provided that two years of regular and continuous study of Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology taken together shall be required at 10+2 level for all the candidates. Candidates who have passed 10+2 from Open Schools or as Private candidates shall not be eligible to appear for National Eligibility-cum-Entrance Test. Furthermore, study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not permissible.

6. In Chapter II under the heading "ADMISSION, SELECTION, MIGRATION & TRAINING" in the Clause 4(3), in 'Admission to Medical Courses – Eligibility Criteria' shall be substituted as under,

4(3). In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for General Category candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates.

5% seats of the annual sanctioned intake capacity shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of 'National Eligibility-Cum-Entrance Test'. For this purpose the Specified Disability contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is annexed in Appendix 'G'. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats should be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

Provided further that this entire exercise shall be completed by each medical college / institution as per the statutory time schedule for admissions and in no case any admission will be made in the MBBS course after 31st of August.

7. In Chapter-II, Clause 5 under the heading "Procedure for selection to MBBS course shall be as follows" shall be substituted as under:-

"Procedure for selection to MBBS course shall be as follows:"

(1) There shall be a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the under graduate level namely 'National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course in each academic year and shall be conducted under overall supervision of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.

(2) The "designated authority" to conduct the 'National Eligibility-Cum- Entrance Test' shall be the Central Board of Secondary Education or any other body/organization so designated by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, in consultation with the Medical Council of India.

(3) The language and manner of conducting the 'National Eligibility-Cum-Entrance Test' shall be determined by the "designated authority" in consultation with the Medical Council of India and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

(4) In order to be eligible for admission to MBBS Course for a academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in 'National Eligibility-cum-Entrance Test to MBBS course' held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, in terms of Clause 4(3) above, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category candidates and 40th percentile for SC/ST/OBC candidates. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All-India common merit list for admission in 'National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course.

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to MBBS Course, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to MBBS Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

(5) The reservation of seats in Medical Colleges for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An All India merit list as well as State/Union Territory-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of marks obtained in 'National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to MBBS course from the said lists only.

(6) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Sub-clause (4) above shall be admitted to MBBS course in the said academic year.

(7) No authority/institution shall admit any candidate to the MBBS course in contravention of the criteria/procedure as laid down by these Regulations and / or in violation of the judgments passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of admissions. Any candidate admitted in contravention/violation of aforesaid shall be discharged by the Council forthwith. The authority / institution which grants admission to any student in contravention /violation of the Regulations and / or the judgments passed by the Hon'ble Supreme Court, shall also be liable to face such action as may be prescribed by the Council, including surrender of seats

equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year/years.

(8) All admission to MBBS course within the respective categories shall be based solely on the marks obtained in the 'National Eligibility-Cum-Entrance Test.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/c

[ADVT.-III/4/Exty./405/17]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part –III, Section (4) of the Gazette of India *vide* Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21.12.2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21.09.2016, 10.03.2017 & 04.07.2017.

Appendix G

(Refer Regulation 4 & 5)

A SCHEDULE is annexed regarding, "SPECIFIED DISABILITY" clause (zc) of section 2, that states as under,

1. Physical disability

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

(e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by subnormality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterized by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government.

Note: Any amendment to the Schedule to the RPWD Act, 2016, shall consequently stand amended in the above schedule.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.30 11:31:55 +05'30'